



REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Plot No. 14-15, Meena Colony, Behind Jail, Sawai Madhopur - 322001
Phone- 07462-294921 Email-rorpcb.swm@gmail.com



Registered/E-mail

Date: 13/07/2026

RO/PCB/SWM/KRL-1138/ 834

Member Secretary,

State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan

4. Institutional Area, Jhalana Doongri

Jaipur.

Subject: -Minutes of Public Hearing dated 01.07.2026 conducted for Environmental Clearance of M/s Finnu Ram Meena for their proposed Plot No.- 34, Khasra No. 1532/1619, 1519/1617 of Sand Stone (Minor Mineral) Mining Project, Area – 1.107 Ha. (Proposed), Production Capacity – 66429 TPA (ROM), Cluster Area :- 10.15 Ha., Near Village Kota, Tehsil- Masalpur, Distt. Karauli (Raj.)

Ref:- 1. Office of the District Collector Sawai Madhopur letter no.1440 dated 12.05.2026.
2. Public hearing conducted on 01.07.2026 at **Bharat Nirman Rajeev Gandhi Seva Kendra Gram Panchayat – Kota (Chawar), Tehsil – Masalpur, District - Karauli.**

Respected Sir,

Please find enclosed herewith minutes of public hearing dated 01.07.2026 conducted at **Bharat Nirman Rajeev Gandhi Seva Kendra Gram Panchayat – Kota (Chawar), Tehsil – Masalpur, District –Karauli.** for Environmental Clearance M/s Finnu Ram Meena for their proposed Plot No.- 34, Khasra No. 1532/1619, 1519/1617, of Sand Stone (Minor Mineral) Mining Project, Area – 1.107 Ha. (Proposed), Production Capacity – 66429 TPA (ROM), Cluster Area :- 10.15 Ha., Near Village Kota, Tehsil- Masalpur, Distt. Karauli (Raj.)

Information regarding the public hearing was published by project proponent on 15.05.2026 in newspaper of Karauli edition of The Indian Express and on 15.05.2026 in newspaper of Karauli edition of Dainik Bhaskar.

The public hearing of the above proposed mining project was conducted on 01.07.2026 and proceeding of the same is hereby enclosed in original along with pen drive of videography carried during public hearing, photography, attendance sheet and copy of newspaper published as above mentioned.

Enclosed:-

1. Minutes of meeting of public hearing in original (4 pages).
2. Attendance sheet of persons present during public hearing in original (3 pages).
3. Videography of public hearing in Pen drive & Photographs.
4. Copy of newspapers published dated 15.05.2026 and 15.05.2026.

Yours sincerely

(Baljeet Meena)
Regional Officer





REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. 14-15, Meena Colony, Behind Jail, Sawai Madhopur - 322001
Phone- 07462-294921 Email-rorpcb.swm@gmail.com



Copy to the following for information & necessary action :-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur.
2. The District Collector Office, Karauli.
3. Sub Divisional Officer and Sub Divisional Magistrate, Karauli.
4. Analyst Cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur with request to upload the proceeding of public hearing on Board's website.
5. Phinnoo ram meena, 346, Pocket - GH - 2, Sector - 28, Rohini, Sahibabd, Daulatpur, North west Delhi, Delhi, North West, Delhi, 110042.

Regional Officer

(Public Hearing Minutes of Meeting)

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 01.07.2026 का

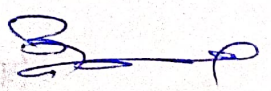
कार्यवृत्त

मैसर्स फिन्नु राम मीना द्वारा प्रस्तावित सेण्ड स्टोन (Minor Mineral) खनन परियोजना , प्लॉट न. 34, खसरा न. 1532/1619, 1519/1617, एरिया 1.107 हैक्टर, उत्पादन क्षमता— 66429 टन (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल — 10.15 हैक्टर, निकट ग्राम— कोटा, तहसील — मासलपुर व जिला— करौली, (राजस्थान) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक पर्यावरणीय जन सुनवाई दिनांक 01.07.2026 को शाम: 05:00 बजे ग्राम पंचायत — कोटा (छावर) के "भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र" ग्राम कोटा (छावर), तहसील— मासलपुर, जिला— करौली में श्री अनिल कुमार उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, करौली (जिला कलेक्टर करौली के प्रतिनिधी) एवं श्री बलजीत मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाई माधोपुर की उपस्थिति में आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान 27 लोग उपस्थित रहे। (उपस्थिति पत्र "परिशिष्ट अ" पर संलग्न है)।

जनसुनवाई के लिए नियमानुसार आमसुचना समाचार पत्र "द इंडियन एक्सप्रेस" करौली संस्करण में दिनांक 15/05/2026 तथा "दैनिक भास्कर" में दिनांक 15/05/2026 को प्रकाशित करवा दी गयी थी एवं मुनादी एक दिवस पूर्व दिनांक 30.06.2026 को ग्राम कोटा एवं ग्राम पंचायत — कोटा (छावर), में करवाई गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाई माधोपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, करौली एवं उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुये बताया कि आज की जनसुनवाईयों सेण्ड स्टोन (Minor Mineral) की 8 खनन परियोजनाओं जो कि प्लॉट संख्या


(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

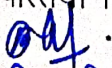

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

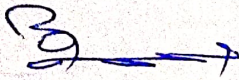
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 एवं 34 के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत यह जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। जिनमें प्लॉट संख्या 27, 28, 29, 30, 31 एवं 32 गैसर्स कोरल एसोसियेट्स द्वारा प्रस्तावित है एवं प्लॉट संख्या 33 एवं 34 गैसर्स फिन्नुराम मीणा द्वारा प्रस्तावित है। यह जनसुनवाई प्लॉट संख्या 34 के लिए की जा रही है जिसमें खनन परियोजना पर्यावरणीय सलाहकार आपको परियोजना के बारे में विस्तार से बताएंगे जिसके उपरान्त इस परियोजना से सम्बन्धित आपके सुझाव एवं आपत्तियाँ ली जाएंगी, जो आप केमरें के सामने मौखिक या लिखित दे सकते हैं जिसकी रिकॉर्डिंग की जावेगी एवं जनसुनवाई की बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) बनाकर राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) को भेजा जावेगा उसके बाद वहा निर्णय होगा की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करनी है या नहीं।

इसके पश्चात खनन परियोजना के पर्यावरणीय/तकनीकी सलाहकार से आग्रह किया की इस खनन परियोजना के बारे में प्रजेन्टेशन के माध्यम से उपस्थित ग्रामवासीयों/जनसमूह को अवगत कराये।

परियोजना के पर्यावरणीय/तकनीकी सलाहकार ने सेण्डस्टोनमाईन क्लस्टर की खदान प्लॉट संख्या 34 (1.107 हैक्टर) उत्पादन क्षमता ROM 66429 टन प्रतिवर्ष की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएँ, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, कामगारों के कल्याण के लिए और प्रस्तावित सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) से सम्बन्धित जानकारी उपस्थित ग्रामवासीयों/जनसमूह को बताई गयी।

इसके उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ग्रामवासीयों से खनन परियोजना के सन्दर्भ में उनके सुझाव अथवा आपत्तियाँ लिखित या मौखिक रूप से रखने के लिए अनुरोध किया।


(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जयपुर

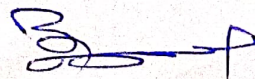

उपस्थित अधिकारी
क्षेत्रीय (राज्य)

इसके उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पुछा गया कि इससे पहले आज जो जनसुनवाई हुई है जिनमें प्लॉट न. 27 से 32 तक अलग कलस्टर बनाया है एवं प्लॉट न. 33-34 हेतु अलग कलस्टर ऐसा अन्तर क्यों है तथा कलस्टर क्षेत्रफल में भी अन्तर है जिसकी प्रतिउत्तर में बताया गया कि दो खनन पट्टे 33 व 34 बाद में नीलाम हुए थे जिनको सम्मिलित करते हुए बाद में नया कलस्टर बनाया गया है। जिसके उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी ने पुनः पुछा कि अगर ऐसा है तो इन सब पट्टों के कलस्टर प्रमाण पत्र एक ही दिवस में क्यों जारी किए गये परियोजना प्रस्ताव द्वारा बताया गया कि 7 खनन पट्टों (प्लॉट न. 27 से 33) की LOI दिनांक 13.06.2024 को जारी किया गया जबकि एक प्लॉट न. 34 का आवंटन बाद में होने के कारण LOI को दिनांक 25.10.2024 को जारी होने के वजह से बाद में कलस्टर में सम्मिलित हुआ इसी क्रम में परियोजना सलाहकार से स्पष्ट जवाब प्राप्त नहीं होने पर क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि इसकी स्पष्ट जानकारी खनन विभाग द्वारा ही दी जा सकती है।

क्षेत्रीय अधिकारी ने परियोजना सलाहकार को खनन कार्य के दौरान भूजल को प्रतिच्छेदित नहीं करते हुए खनन योजना के अनुरूप मेकेनाइज्ड ऑपन कास्ट माईनिंग करें, इसके अलावा अप्रोच रोड़ के दोनो तरफ पौधे लगाए एवं धूल दमन हेतु ग्रेवल रोड़ बनाये साथ ही साथ रोड़ पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था करें, खनन पट्टे के चारो तरफ तारबन्दी करें, खनिज का परिवहन वाहनों को ढक्कर करें एवं DGMS से अनुमति लेकर कन्ट्रोल ब्लॉस्टिंग करें इत्यादि निर्देश दिये।

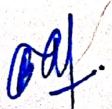
श्री रणजीत सिंह (ग्राम विकास अधिकारी) द्वारा जानना चाहा कि यह खनन कार्य कब प्रारम्भ होगा जिसके उपरान्त उपखण्ड अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस जनसुनवाई के बाद एक बैठक जयपुर में होगी जिसमें पर्यावरण स्वीकृती जारी होने के बाद प्रदूषण विभाग से संचालन कि सम्मति जारी होगी जिसके बाद खनन कार्य प्रारम्भ होगा इसके उपरान्त श्री रणजीत सिंह


(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

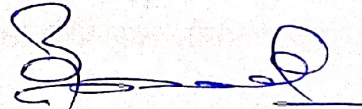

उपखण्ड अधिकारी
क्षेत्रीय (राजग.)

द्वारा पुनः पुछा कि खनन कार्य शुरू होने से पहले पौधारोपण, सड़क की मरम्मत वगैरा करवाई जायेगी इसी कम में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया की खनन कार्य शुरू होने से पहले यह कार्य प्रारम्भ नहीं होंगे तथा क्षेत्रीय अधिकारी ने पुनः स्पष्ट करते हुऐ बताया कि इस जनसुनवाई की बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) बनाकर राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति (SEAC) को भेजा जावेगा जिसके बाद समिति अध्ययन करने के उपरान्त राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) में भेजा जावेगा वहां विचार विमर्श होने के बाद पर्यावरण स्वीकृती जारी होगी जिसके उपरान्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से स्थापना एवं संचालन की सम्मति जारी कि जावेगी इसके पश्चात खनन विभाग से खनना जारी होंगे तब जाकर खनन कार्य प्रारम्भ किया जाऐगा।

इसी के साथ क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जन सुनवाई के दौरान उपस्थित ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करते हुऐ धन्यवाद के साथ पर्यावरणीय जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।



(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
सवाई माधोपुर



(अनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों, ग्रामवासी / जनप्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र

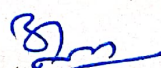
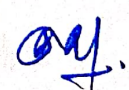
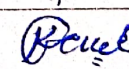
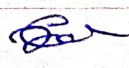
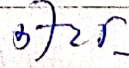
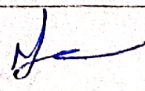
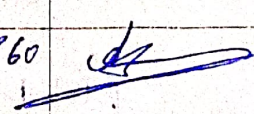
मैसर्स फिन्नु राम भीना द्वारा प्रस्तावित Sand Stone (Minor Mineral) खनन परियोजना, मैसर्स फिन्नु राम भीना प्लॉट न.- 34, खसरा न.- 1532/1619, 1519/1617, एरिया 1.107 हैक्टर, उत्पादन क्षमता - 66429 टन (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल - 10.15 हैक्टर, निकट ग्राम- कोटा, तहसील - मासलपुर व जिला - करौली, (राजस्थान) में स्थित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 01.07.2026 को आयोजित जनसुनवाई की बैठक।

जनसुनवाई स्थल :- ग्राम पंचायत - कोटा (छावर) के "भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र", कोटा (छावर), तहसील - मासलपुर, जिला - करौली।

दिनांक : 01.07.2026.

समय : शाम: 5:00 बजे।

उपस्थिति पत्र

क्र.स.	नाम	पद नाम/कार्यालय/ग्राम	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	अनिल कुमार	डिप्टी अधिकारी करौली	9828819253	
2.	Baljeet Meena	RO, RSPCB, Swan	9461239662	
3.	काजिरा देवी	कोटा छावर	8890815625	
4.	दुर्गेति	कोटा	90790 188955	
5.	मिर्जा	कोटा	8947039318	
6.	Mahil	Kota	9239521930	
7.	अश्वि चव्वा	कोटा	6377668860	

8.	रिशंत सिंह	कोटा	7976771689	रिशंत
9.	हरिमाण	कोटा/छावर	9982231976	हरिमाण
10.	पुष्पेन्द्र कुमार	कोटा	8005915503	पुष्पेन्द्र
11.	लक्ष्मीनन्द	छावर	8619109806	लक्ष्मीनन्द
12.	जगपन्थ	कोटा	9982756245	जगपन्थ
13.	धर्मसिंह	छावर	9548797814	धर्मसिंह
14.	मन्मथाना	छावर	7665277189	मन्मथाना
15.	लाला सिंह	कोटा	8769950815	लाला सिंह
16.	केशव	कोटा	7725960549	केशव
17.	धानरिसिंह		0783658297	धानरिसिंह
18.	रचना कुमारी	फरवारी कोटा (छावर)	6375138387	रि
19.	रंजीत सिंह	प.ग. कोटा छावर	7877064462	Kanjur Singh
20.	डुगैर	कोटा	9079018895	डुगैर
21.	वल्लभाना	कोटा (छावर)	9649859533	वल्लभाना
22.	रायप्रकाश मीना	छावर	9521313428	रायप्रकाश
23.	विजयलाल	कोटा	9687000099	विजयलाल
24.	RAT KUMAR LUNJAR	JEE RUPUR	8209010515	RATKUMAR

25	1/1/2020	80727	8890815625	1/1/2020
26	Kuyner Am	Agas (mumud) R. P. U	7726891608	(K) m
27	Dal Chawal	Lolaipu	800318250	(D) m
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				

multiple angles.
li police station of
nwar Lal Vaishnav
boy went to his room
m on Wednesday. In
g when he did not
door, his parents
en and found his
e phones and other
vidence are being
Call recordings,
her digital data are
ed to establish the
events leading up
ent." An FIR has
nder Section 306 of
ther action will be
ingly. Police have
at claims related
arassment and
ions of religious
will be cross-
d on available evi-

g to police,
appears to
uted to a
onship

(4) कार्यालय जिला परिषद, करौली। (5) जिला उद्योग केन्द्र, करौली। (6) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, करौली। (7) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर।

चूकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन - सुनवाई दिनांक 01.07.2026 को, ग्राम पंचायत कोटा (छावर), तहसील मासलपुर जिला करौली के 'भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र' में समय सुबह 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से
(बलजीत मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल



प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे सवाई माधोपुर (राज.) 322001

फोन नं.: 07462-294921 ई-मेल - rorpcb.swm@gmail.com

कमांक: रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स.मा./करौली- 1138/365-368

दिनांक:- 13/05/2026

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फिन्नु राम मीना Sand Stone (Minor Mineral) खनन परियोजना, प्लॉट न. 34, खसरा न. 1532 / 1619, 1519 / 1617 एरिया 1.107 हैक्टर, उत्पादन क्षमता 66429 TPA (RDM), कल्स्टर क्षेत्रफल 10.151 हैक्टर, निकट ग्राम- कोटा, तहसील- मासलपुर व जिला-करौली के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:- (1) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। (2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। (3) कार्यालय जिला कलक्टर, करौली। (4) कार्यालय जिला परिषद, करौली। (5) जिला उद्योग केन्द्र, करौली। (6) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, करौली। (7) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर।

चूकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन - सुनवाई दिनांक 01.07.2026 को, ग्राम पंचायत कोटा (छावर), तहसील मासलपुर जिला करौली के 'भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र' में समय शाम 05:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से
(बलजीत मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

Notice is in exercise upon the The Board described dates. The Board charge The Board	
Sr. No.	
1	Bor thro (1) S (2) S (3) S (4) S Gua (1) S (2) S (3) S (4) S (5) S (6) S
DATE	PLAC